

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/106/19/2019/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती नीलम, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अधीन उप स्वास्थ्य केन्द्र नौखडा, खण्ड कौलायत, बीकानेर को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर पूर्व में स्वीकृत अवकाश में निम्नानुसार संशोधन स्वीकृत किया जाता है:-

क्र सं	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	पूर्व में स्वीकृत अवकाश अवधि	संशोधित अवकाश
1	नीलम	उप स्वास्थ्य केन्द्र नौखडा, खण्ड कौलायत, बीकानेर	1. निदेशालय के आदेश क्रमांक 571 दिनांक 02.04.2019 द्वारा बिन्दु संख्या 2 पर स्वीकृत अवकाश दिनांक 16.04.2005 से 13.05.2005 तक कुल 46 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश। 2. निदेशालय के आदेश क्रमांक 572 दिनांक 02.04.2019 द्वारा बिन्दु संख्या 1 पर 20.10.2007 से 19.01.2008 तक 84 दिवस का उपार्जित अवकाश।	1. दिनांक 16.04.2005 से 31.05.2005 तक 46 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश। 2. दिनांक 28.10.2007 से 19.01.2008 तक 84 दिवस का उपार्जित अवकाश।

नोट - निदेशालय के आदेश क्रमांक 571 दिनांक 02.04.2019 एवं 572 दिनांक 02.04.2019 द्वारा स्वीकृत शेष अवकाश यथावत रहेगे।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

दिनांक - 17.05.19

क्रमांक ई-20/म0स्वा0कार्य0/106/19/2019/832

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, एस.डी.एम राजस्थान चिकित्सालय संबन्ध स.प आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कौलायत, बीकानेर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर